

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1481/2013/उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत्त-सी, उदयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स फ्रेंड्स सप्लायर्स कम्पनी, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

कॉस आब्जेक्शन्स संख्या-651/2014/उदयपुर

मैसर्स फ्रेंड्स सप्लायर्स कम्पनी, उदयपुर। ...प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता की ओर से  
बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत्त-सी, उदयपुर।

.....अपीलार्थी प्रत्याक्षेपकर्ता की ओर से

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री-आर.के.अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....राजस्व की ओर से

श्री एम.एस.झंवर,  
अभिभाषक ।

.....व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09.09.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2013 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 13/वैट/2012-13 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान गूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये पारित आदेश दिनांक 31.01.2012 में कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने को चुनाती दी गयी है । इसी प्रकार, व्यवहारी द्वारा भी इस संबंध में "कॉस आब्जेक्शन्स" प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी है ।

2. चूंकि प्रस्तुत अपील व "कॉस आब्जेक्शन्स" में विवादित बिन्दु सादृश्य है। अतः इनका निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पर पृथक से रखी जा रही है ।

लगातार.....2



✓ 2 -  
अपील संख्या - 1481/2013/उदयपुर व  
कॉस आब्जेक्शन्स संख्या-651/2014/उदयपुर

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यथी सीमेन्ट का विक्रेता है तथा आलोच्य अवधि वर्ष 2008-09 में प्रत्यथी द्वारा सीमेन्ट कम्पनी से माल कय करने के पश्चात् सीमेन्ट ग्राहकों को विक्रय की गई। सीमेन्ट कम्पनी के साथ हुये एग्रीमेन्ट के अनुसार सीमेन्ट कम्पनी के द्वारा आलोच्य अवधि के दौरान प्रत्यथी द्वारा सीमेन्ट कम्पनी से कय की गई सीमेन्ट के कुल पण्यावर्त के आधार पर वर्ष के अन्त में डिस्काउण्ट/इन्सेन्टिव प्रदान करते हुये प्रत्यथी को इस डिस्काउण्ट/इन्सेन्टिव के क्रेडिट नोट जारी किये गये। ट्रेडिंग एकाउण्ट में प्रत्यथी द्वारा वेट इनवाइसेज के आधार पर सीमेन्ट कम्पनी से खरीद की गई सीमेन्ट की कुल खरीद राशि में से इस डिस्काउण्ट/इन्सेन्टिव की राशि के प्राप्त क्रेडिट नोट का मुजरा/समायोजन देने के बाद शेष राशि की शुद्ध खरीद राशि बताई गई। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टिकरण II के आधार पर सीमेन्ट कम्पनी द्वारा एक्स पोस्ट फेक्टो (Ex Post Facto) दिये गये इस डिस्काउण्ट/इन्सेन्टिव को अस्वीकार कर इस डिस्काउण्ट/इन्सेन्टिव के बराबर की राशि की खरीद कम मानते हुये प्रत्यथी द्वारा इस खरीद राशि पर लिये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को अस्वीकार करते हुये रिवर्स टैक्स एवम् ब्याज आरोपित किया गया। प्रत्यथी व्यवहारी ने अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किये गये रिवर्स टैक्स एवम् ब्याज संबंधी पारित ओदश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। इसी प्रकार, व्यवहारी द्वारा भी इस संबंध में "कॉस आब्जेक्शन्स" प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उम-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुये कथन किया गया कि ट्रेड डिस्काउण्ट से प्रत्यथी की कय राशि कम हो गयी थी। इसलिए शुद्ध कर राशि पर चुकाये गये कर का मुजरा ही दिया जा सकता

लगातार.....3



था। इसलिये अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अधिक लिए गए ITC को रिवर्स कर, कोई भूल नहीं की थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों का विपरीत विवेचन एवं विश्लेषण कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अपास्त किये जाकर विभागीय अपील स्वीकार करने का निवेदन कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शनस को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।।

प्रत्यर्थी व्यवसायी प्रतिआपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सीमेण्ट कम्पनी से वेट इन्वाइसेज के आधार पर माल खरीद कर डीलर के रूप में विक्रय किया है। चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने समस्त माल कम्पनी से कय किया है तथा कम्पनी के एग्रीमेण्ट के अनुसार वर्ष के अंत में टर्न ओवर के आधार पर कम्पनी टर्न ओवर डिस्काउण्ट देती है जिसको व्यवहारी ने अपने कुल खरीद मूल्य में से कम किया है जबकि वेट इनवाइस के आधार पर जो उसका खरीद मूल्य बनता है उस पर 12.5 प्रतिशत से कर चुकाया है, जिसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने का हकदार है और उसने ऐसा करके किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने आगे कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी प्रकार का विशिष्ट कारण बताओं नोटिसा दिये बिना इनपुट टैक्स को रिवर्स किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। धारा 2(36)(II) के प्रावधान विक्रेता जो की टर्न ओवर डिस्काउण्ट देता है, पर लागू होते हैं न कि क्रेता प्रत्यर्थी पर, क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने पूरा कर विक्रेता को चुका दिया तथा विक्रेता कम्पनी ने यह सम्पूर्ण वेट राशि राज कोष में जमा करवायी। चूंकि धारा 2(36) का प्रावधान प्रार्थी पर लागू नहीं होता अतः टर्न ओवर डिस्काउण्ट पर इनपुट टैक्स को रिवर्स करना अविधिक तथा नियम विरुद्ध है। प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने कहा कि इनपुट क्रेडिट रिवर्स करने के प्रावधान धारा 18 की उप धारा (3) (I to V) में वर्णित है चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रकरण धारा 3 की उप धारा (I to V) से आच्छादित नहीं होता है अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विधिराम्य एवम् उचित नहीं है। अग्रिम अतिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 18(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि खरीद वेट इनवाइस के अनुसार इनपुट क्रेडिट ली जायेगी, प्रत्यर्थी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट वेट इनवाइस एवं वेट-07 विवरण पत्रों के अनुसार वलेम की गई है।

अपील संख्या - 1481/2013/उदयपुर व  
 कोस आब्जोक्शन्स संख्या-651/2014/उदयपुर

व्यवहारी द्वारा वेट-07 तिमाही विवरण पत्रों के साथ प्रस्तुत कर दिये हैं जो नियमानुसार हैं। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त आदेश में इनपुट टैक्स रिवर्स कर उस पर ब्याज आरोपित किया है वह अविधिक है। वर्ष के अंत में एडजस्टमेंट के लिये किसी भी जमाखर्च को करना कय या विकय की परिभाषा में नहीं आता है और वह कय व विकय को वेट एक्ट के फार्म-07 एवम् फार्म-08 को प्रभावित नहीं करता है। प्रत्यर्थी कय मूल्य पर इनपुट टैक्स लेने के लिये पात्र है। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने मनमाने तरीके से भुगतान किये गये वेट को रिवर्स किया है वह अविधिक है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा वेट इन्वोइसेज पर की गई अपनी खरीद पर चुकाया आगत कर का मुजरा मांगा गया, जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउंट की राशि पर आगत कर को रिवर्स कर दिया। वेट एक्ट की धारा 2(33) में परिभाषित रिवर्स टैक्स के अनुसार वेट अधिनियम की धारा 18(1) के क्लॉज ए से जी तक की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो तो ही पूर्व में मुजरा लिया गया आगत कर रिवर्स हो सकता है। प्रत्यर्थी ने धारा 18(1) के प्रावधानों को उल्लंघन नहीं किया है इसके अलावा प्रत्यर्थी ने वेट 07 में वर्णित पूरी खरीद पर कर चुकाया था तथा विक्रेता सिमेन्ट कम्पनी ने समस्त वेट राशि का राज्य सरकार के राजकोष में जमा करवा दिया। इसलिए वेट-07 में घोषित आई.टी.सी स्वीकृत योग्य है। विक्रेता सिमेन्ट कम्पनी ने वर्ष के अंत में ट्रेड डिस्काउंट देते हुये जिस राशि का क्रेडिट नोट जारी किया गया उसका धारा 2(36) सेल प्राईस (Sale Price) के स्पष्टीकरण के द्वितीय में अंकित परिभाषा के अनुसार विक्रेता के मूल्य में से कम नहीं किया गया है। अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार ने अधिनियम में दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी संशोधन करते हुये धारा 18 में उप धारा 3(ए) अन्तः स्थापित की गई जिसके अनुसार यह नई उपधारा दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी होने के कारण प्रत्यर्थी के आलौच्य अवधि में लागू नहीं होती है। अतः अपीलार्थी अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन कर, कर बोर्ड की एकलपीठ (समन्वय पीठ) द्वारा अपील संख्या 1589 से 1597/2011/जालौर निर्णय दिनांक 18.08.2012 व अपील संख्या

अपील संख्या - 1481/2013/उदयपुर व  
 कॉसा आब्जेक्शन्स संख्या-651/2014/उदयपुर  
 1167/2011/उदयपुर निर्णय दिनांक 28.02.2012 को प्रोद्धारित कर, प्रत्यर्थी  
 व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्याक्षेप ज्ञापन संख्या 651/2014/उदयपुर को  
 प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी  
 की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने  
 आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में दर्शायी गयी खरीद,  
 वैट-07 में दर्शायी गयी खरीद से कम दर्शायी गयी है। इस पर कर निर्धारण  
 अधिकारी द्वारा व्यवहारी की ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का  
 भाग मानते हुये वैट आरोपित किया गया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी को विक्रेता द्वारा जारी ट्रेड डिस्काउण्ट को प्रत्यर्थी का  
 विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। विक्रय मूल्य की परिभाषा वैट  
 अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार निम्न प्रकार है:-

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as  
 consideration for the sale of any goods less any sum  
 allowed by way of any kind of discount or rebate according to the  
 practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any  
 statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in  
 respect of the goods or services rendered at the time of or before the  
 delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

**Explanation I.** - In the case of a sale by hire purchase  
 agreement, the prevailing market price of the goods on the  
 date on which such goods are delivered to the buyer under  
 such agreement, shall be deemed to be the sale price of such  
 goods;

**Explanation II.** - Cash or trade discount at the time of sale  
 as evident from the invoice shall be excluded from the sale  
 price but any ex post facto grant of discounts or incentives  
 or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

**Explanation III.** - Where according to the terms of a  
 contract, the cost of freight and other expenses in respect of

- 6 -  
अपील संख्या - 1481/2013/उदयपुर व  
कॉस आब्जेक्शन्स संख्या-651/2014/उदयपुर


the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स नैवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (124 एस.टी.सी. 586) के प्रकरण में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:-

“It is that sale consideration, whether in cash or otherwise, which is receiveable in respect of sales made by the dealer which can possibly form part of the turnover of a dealer. It is that sum which can be legitimately regarded as forming part of the aggregate amount for which the goods have been bought or sold. The sum has to be paid either by purchaser or on his behalf by some other person. Any sum received *de hors* the contract of sale from another entity, whether it be the Government or any one else, cannot be regarded as being an amount which would form part of the sale price on which tax is payable.” इस प्रकार प्रत्यर्थी के विक्रेता द्वारा क्रेडिट नोट से प्राप्त राशि प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण मूल्य का भाग नहीं हो सकती। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। फलस्वरूप, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर, प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता की ओर से अपील संख्या प्रस्तुत 1481/2013 के विरुद्ध प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन्स स्वीकार किये जाते हैं।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता की ओर से प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन्स स्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

  
9.9.2014  
(मदन लाल)  
सदस्य